ISSN:2395-1079 Available online athttp://www.gjms.co.in/index.php/sajms

South Asia Journal of Multidisciplinary Studies SAJMS November 2016, Vol. 2, No 10

महिला उद्यमियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति शहडोल जिले के संदर्भ में

डॉ. हरिओम शुक्ला

अतिथि विद्वान (वाणिज्य)शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय व्यौहारी, जिला–शहडोल म.प्र.

सरांश शोध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु पर निम्नलिखित परीक्षण हेतु निर्धारित किया है :–

1. महिला उद्यमी के संदर्भ आज भी लिंगा भेद संबंधी पूर्वाग्रह प्रभावी है।
2. इस पर अध्ययन क्षेत्र के महिला उद्यमी हेतु पर्याप्त उद्यम असर उपलब्ध है, किन्तु इन अवसरों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता है।
3. महिला उद्यमियों में 80 प्रतिशत उद्यमी आज भी पारंपरिक उद्यम तक सीमित है । शेष 20 प्रतिशत उद्यमी नवीन उद्यम क्षेत्र में क्रियाशील है।
4. महिला उद्यम विकास के संबंध में निर्धारित शासकीय नीतियों का क्रियान्वयन पूर्ण ईमानदारी से नही किया जा रहा है।
5. महिला उद्यम विकास सहायक एजेण्सी की भूमिका प्रभावी नहीं है।
6. महिला उद्यमी का उद्यम सहायक एजेन्सी के प्रति व्यवहार तथा एजेन्सी का महिला उद्यमी के प्रति व्यवहार आशा के अनुरुप नहीं है।
7. महिला उद्यमी के उद्यम कौशल विकसित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं व प्रेरक संस्थाओं की कमी है।
8. उद्यमियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली संस्थाएं नकारात्मक भूमिका निभा रही है ।

प्रस्तावना

शहडोल जिला का परिचय :– सामान्य जानकारी जिला–शहडोल म.प्र. के उत्तर पूर्वी भाग स्थित है। 15 अगस्त 2003 को प्रकाशित संरचना में परिवर्तन के कारण विभाजन होने से क्षेत्रफल घटकर 5642 वर्ग कि.मी. ही रह गया है

जो कि राज्य का 1.8 प्रतिशत है। जिले के पूर्व एवं दक्षिण में अनूपपुर जिला स्तर में सतना एवं सीधी तथा पश्चिम में उमरिया जिला स्थित है यह जिला 22.52 अक्षांश से 25.41 उत्तरी अक्षांश तथा 80.10 पूर्व देशान्तर से 82.12 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

सुक्षाव –_इस अध्ययन के माध्यम से वर्तमान एवं सभावित महिला उद्यमियों, उद्यम सहायता एजेंसियों, उद्यमिता विकास संस्थानों, प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थानों, नीति निर्माताओं एवं शोधार्थियों हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। मुख्य सुझाव अग्रानुसार है –

(अ) उद्यम सहायत एजेंसियों हेतु सुझाव –

महिला उद्यमिता विकास हेतु सुझाव है कि विभिन्न सहायता एजेंसियों को शासन की विभिन्न योजनाओं, जो महिला उद्यमिता हेतु वर्तमान में लागू है, के बारे में अधिक से अधिक महिलाओं को जानकारी दें। शासन से महिला उद्यमियों हेतु प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओं व अनुदानों से महिलाओं को परिचित करायें व अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित करें।

महिलाओं के लिये सहायता एजेंसियों द्वारा उद्यमीय वातावरण निर्मित किया जाये। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमीनार व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये जिनमें अधिक से अधिक महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। सहायता एजेंसियों के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा महिला उद्यमियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए । उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए जहॉ तक संभव हो सके निरीक्षण आदि व्यवस्था में महिला निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सहायता एजेंसियों को कुशल व प्रशिक्षित महिला उद्यमियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। शासकीय अनुदान आदि का फायदा सही महिला उद्यमी को प्राप्त हो इसके लिये नाममात्र की महिला उद्यमी की पहचान कर उन पर रोक लगानी चाहिए । तकनीकी संस्थानों व प्रबंध शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। महिलाओं को उद्यमिता के लाभ बताकर तथा सफल महिला उद्यमियों का उदाहरण देकर उद्यमिता हेतु प्रेरित करना चाहिए।

भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। अधिकारियों /कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए । अधिकारियों को समय –समय पर लोक संबंधों हेतु प्रशिक्षण देना चाहिए।

महिला उद्यमियों के मामले में समपार्श्विक प्रतिभूति की माँग नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही मार्जिन मनी 5 प्रतिशत तक ही होनी

चाहिए । महिलाओं के नाम से संपत्ति न होने के कारण वे मार्जिन मनी का प्रबंध नहीं कर पाती हैं, अतः मध्यप्रदेश वित निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली मार्जिन मनी की सुविधा की जानकारी महिलाओं को दी जानी चाहिए । उद्यम स्थापना के प्रारंभिक वर्षो में उन्हें कर रियायतें दी जानी चाहिए।

सहायता एजेंसियों में महिला उद्यमियों हेतु विशिष्ट प्रकोष्ठ की स्थापना होनी चाहिए। जिसमें महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्व–सहायता समूहों के गठन व समूह महिला उद्यमिता के विकास हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

(ब) प्रबंध संस्थान एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु सुझाव –

सामान्यतः महिला उद्यमी 25 से 40 वर्ष की आयु में उद्यमिता जगत में प्रवेश करती है। अतः इस आयु समूह की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा योजनाओं की पूर्ण जानकारी एवं कुशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें उद्यम स्थापना व ऋण प्राप्ति में मदद भी प्रदान की जानी चाहिए। इन महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन की उत्कंठ चाह होती है । ऐसे में इन्हें प्रशिक्षण व मदद देकर उद्यम स्थापना हेत प्रेरित करने का काम इन संगठनों को ही करना चाहिए।

इन प्रशिक्षण संस्थाओं को ग्रामीण परिवेश की कम पढ़ी–लिखी एवं पिछड़े तबके की महिलाओं हेतु उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कम अवधि के व स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर इन महिलाआ को उद्यमिता हेतु प्रेरित करना चाहिए।

इसके साथ ही यह भी सुझाव है कि जिले में ऐसे प्रशिक्षण संस्थाओं का ही अभाव है अतः पहले तो ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाये तथा बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाये। विगत कुछ वर्षो स जिले में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, एन.आई.आई.टी., महिला पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तो स्थापित किये गये हैं, अभी और प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई देती है।

(ग) नीति निर्माताओं हेतु सुझाव –

महिला उद्यमिता विकास हेतु नवीन योजनाओं के निर्माण के स्थान पर आवश्यक है कि वर्तमान योजनाओं का ही प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाये। योजनाओं की जानकारी ग्रामीण अंचलों तक पहुँचे ऐसी व्यवस्था की जाये । नव स्थापित महिला उद्यमों को प्रारंभ में 5 से 10 वर्षो तक विभिन्न रियासतें यथा करों में छूट, सरकारी विभागों में महिला उद्यमों से निर्मित उत्पादों की खरीद आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सहायता एजेंसियों को स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे सरल प्रक्रिया अपनाकर महिला उद्यमियों की मदद कर सकें। एक दूसरी सहायता एजेंसियों के मध्य उचित समन्वय से अनावश्यक से अनावश्यक विलंब नहीं होता है। इसके साथ लाइसेंसे व अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूह गठन हेतु उचित माहौल बनाया जाना चाहिए। स्व–सहायता समूह उद्यमों की स्थापना व संचालन में महिला उद्यमियों की सहायता करते है। परंपरागत व्यवसायों व हस्तशिल्प आदि के क्षेत्र में स्व–सहायता समूह सक्रिय भूमिका निभा सकते है।

कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं एवं महिला कृषि श्रमिकों को उद्यमी का दर्जा देकर महिला सरकारी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इससे कृषि के साथ–साथ ग्रामीण उद्योगो में महिला उद्यमिता का विकास हो सकता है।

महिला उद्यमियों हेतु अलग से एक बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जो आसान शर्तो पर मध्यम एवं लघु अवधि के ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान करें। महिला उद्यमिता विकास हेतु अन्य बैंकों को भी विशेष योजनाएँ चालू करनी चाहिए।

महिला उद्यमियों के विकास हेतु कार्यक्रम बनाने में महिला उद्यमियों के प्रतिनिधियों की राय लेनी चाहिए।

(घ) विविध सुझाव –

ग्रामीण महिलाओं में आत्म निर्भरता हेतु लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रमों के स्थान पर दक्षतोन्मुखी कार्यक्रम समाजसेवी संस्थान की मदद से बनाये जाने चाहिए। गुणवत्ता वाले उत्पादों जिनकी बाजार में माँग हो जिनके उत्पादन हेतु ग्रामीण शिल्पी महिलाओं को सतत् जागरुक बनाना चाहिए।

महिला उद्यमियों को समाज में पूर्ण सम्मान व उद्यमीय पहचान मिलनी चाहिए । सफलता प्राप्त होने पर महिला उद्यमियों का अभिनंदन होनी चाहिए तभी अन्य महिलाओं उद्यमी बनने हेतु आ जायेगें।

माता –पिता अपनी पुत्रियों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायें, उन्हें आत्म निर्भरता एवं आर्थिक–स्वतंत्रता पाने हेतु प्ररित करें, उनकी उद्यमीय भावना को साकार होने में मदद करे। बेटी का विवाह कर विदा कर देने में अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझें।

भविष्य में होने वाले शोध अध्ययनों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव –

महिला उद्यमिता विकास हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में अध्ययन किये जाने

चाहिए । शोध हेतु यह भी विषय हो सकता है कि कैसे नौकरीपेशा महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र चयन हेतु प्रेरित किया जाये।

भविष्य में तकनीकी व व्यावसायिक स्नातकों को नौकरी के स्थान पर स्व–उद्योग हेतु प्रेरित करने के संबंध में शोध होने चाहिए।

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के संचालन के बावजूद समाज में महिला उद्यमियों की न्यून संख्या किन कारणों से हैं, इस संदर्भ में अध्ययन अपेक्षित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता विकास पर वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण का प्रभाव एवं संभावनाओं पर शोध अध्ययन अपेक्षित है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत विषय का उद्देश्य विशेष रुप से शहडोल जिला में महिला उद्यमियों को सफलताएं, चुनौतियां एवं संभावनाओं को प्रकाश मे लाना। इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि महिला उद्यमिता विकास केन्द्र सरकार एवं म.प्र. शासन विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। जिनका लाभ उठाकर महिलायें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आ रही है। परन्तु शहडोल जिले में महिला उद्यमिता विकास देश के अन्य भागों एवं प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता विकास योजनाओं का लाभ नही उठा पा रही है। नगरीय क्षेत्र में अवश्य ही महिला उद्यमिता की शुरुआत हुई, परन्तु वह भी शैसवावस्था है।

महिलायें आर्थिक स्वतंत्रता, व्यस्त रहने एवं अपनी इच्छा पूर्ति हेतु उद्यम क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे है परन्तु उनकी संख्या कम होने के कारण तथा विस्तृत उद्यमीय क्षितीज की उपलब्धता के कारण महिलाये परम्परा उद्यमो के साथ–साथ नवीन उद्यमों मे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है । विभिन्न महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन में महिला सशक्तिकरण हो रही है परन्तु महिला उद्यमिता की समस्यायें दूर किये बिना वांछित परिणाम नही मिल पायेगें, इसके लिये महिलाओं में शिक्षा एवं जागरुकता बढ़ाना होगा सहायता एजेसियो को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना होगा तथा शासकीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाना होगा।

महिलाओ को उद्यमिता पहचान देने के समाज सदैव पीछे रहा है अतः समाजिक ढाँचे में सकारात्मक परिवर्तन महिलाओं को प्रशिक्षण द्वारा अभिप्रेरित करने एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करके महिला उद्यमिता को बढ़ाया जा सकता है। भारत में पालको द्वारा पुत्री का विवाह करना प्राथमिकता होती है। जिसे बदलकर पुत्री को आत्मनिर्भर बनाने की पहल होनी चाहिए । स्व सहायता समूह के माध्यम से समूह महिला

उद्यमिता का विकास ग्रामीण महिलाओं हेतु कारगर साबित हो सकता है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि महिलाओं ने उद्यमिता जगत में अपनी गहरी पैठ बना ली है पुरुषों से उद्यमिता का लोहा लेने में पीछे नही हैं। कार्यशील जनसंख्या में महिलायें पुरुषों की मात्र 1/3 है। इससे स्पष्ट है कि जिले में महिलाऐं ग्रह कार्यो में ही अधिक मात्रा में संलग्न है अधिकांश ग्रामीण परिवार गरीब है जिन्हे रोजगार की नितांत आवश्यकता है हालांकि जिले के अंतर्गत जरुरत मंदो को रोजगर मुहैया कराने हेतु ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न श्रमिकों (महिला एवं पुरुष) का पलायन आम तौर पर देखा जा सकता है यहां उद्यमिता विकास की महती आवश्यकता है, पुरुष उद्यमिता ही बहोत पिछड़ी हुई है ऐसे में महिला उद्यमिता की स्थिति स्वतः स्पष्ट होती है । फलतः क्रयशक्ति न्यून थी जिसमें नव उद्यमों को पुष्टित व पल्लवित होने में स्वशासित परेशानी का सामना पड़ता था विभिन्न योजनाओं को व अभिप्रस्तावों से महिला उद्यमिता का विकास हो रहा था । परंतु विकास दर महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिये और अधिक प्रयोग की आवश्यकता स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी।

शिक्षित महिलाओं द्वारा उद्यमों की स्थापना में 21/7 में योजनाओं एवं उद्यमों का लाभ उठाया गया कि इन महिला उद्यमियों ने परम्परागत उद्यमों के साथ ही नवीन उद्यमों को प्रारंभ किया कि वे सफलता पूर्वक उनका संचालन भी कर रही हैं। जबकि अशिक्षित महिलायें शासन की विभिन्न योजनाओं से जानकारी के अभाव कम लाभान्वित हुई है।

किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति में अधिकता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उद्यमी प्रवृत्तियॉ के फलस्वरुप ही देश में नए उद्योगों वस्तुओं रोजगार आय व धन संपदा का निमाण संभव होता है राष्ट्र के संसाधनों को उत्पादक कार्यो में लगाना नवीन तकनीक नए कार्यो एवं साहसिक निर्णयों के द्वारा नई उपयोगिताओं का सृजन करना उद्यमियों पर ही निर्भर करता है आर्थिक स्थायित्व औद्योगिक चेतना एवं सामाजिक नवप्रर्वतन को उत्प्रेरित करने में उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

वर्तमान समय उदारीकरण एवं सार्वभौमिकता के साथ ही निजीकरण का माना जा रहा है। इस दौर में उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र की कई परिभाषाऍ एवं अर्थ बदल गए है पूंजीपतियां की पारंपरिक शैली आज बदली जा रही है । पूर्व म पॅूजीपति उद्योगपति एवं उद्योगपति की विकास का आधार माना जाता था लेकिन आज उत्पादन के साधनों की उपलब्धी अलग–अलग जगह से होती थी तथा इन साधनों को एकत्र करके वैज्ञानिक समन्वय

स्थापित करने वाला ही सही सपनों में उद्योगपति या उद्यमी या साहसी कहा जाता है।

उद्यमो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16 वीं शताब्दी में फ्रांस में सामाजिक कार्यो को संपन्न करने वाले लोगों के संदर्भ में किया गया था 17 वीं शताब्दी में नागरिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सड़क, पुल, बंदरगाह व किलों आदि का निर्माण करने वाले ठेकेदारों के लिए इसका प्रयाग किया गया। 18 वीं शताब्दी में आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में उद्यमिता शब्द का प्रयोग किया गया इसी शताब्दी में भारत में उद्यमिता की विचारधारा उदित हुई उद्यमिता प्रथमतः सेना के कार्यो एवं निर्माण तथा अभियंत्रिकी क्रियाओं के संबंध में प्रयुक्त की जाती थी। शुम्पीटर ने उद्यमी को परिभाषित करते हुए कहा है कि उद्यमी एक गतिशील एजेन्ट ही कि परिवर्तनों को स्वीकार करता है और भौतिक प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के अनुरुप उत्पादन संभावनाओं को यथाथता में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है 19 वीं शताब्दी में उद्यमी का साहसी अर्थात जोखिम वहनकर्ता, व्यवसाय का प्रर्वतक प्रबन्धक, संगठनकर्ता एवं समन्वय करने वाले व्यक्ति से लगाया जाता है जबकि 20 वीं शताब्दी प्रारंभ में उद्यमी नवप्रर्वतन के रुप में जाना जाने लगा। 21 वीं शताब्दी में उद्यमी की चुनौतियॉ अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में देखी जाने लगी आज उद्यमी पेशेवर प्रबंधक का पूॅजीपति होने के ही कारण जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है।

समाज में नारी के स्तर और भूमिका को लेकर जो परंपरागत दुराग्रह रहे है वे अभी भी महिला उद्यमिता के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है यही कारण है कि महिला उद्यमिता के संविधान के लिए अब तक जो प्रयास हुए ही उनकी दिशा दृष्टि विकासोन्मुखी कम और कल्याणोंन्मुखी अधिक रह रही है इस प्रकार के प्रयासों को विकास के कार्यक्रमों के रुप में अधिक देखी जा रही है आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में होने वाले युगांतिकारी परिवर्तनों से राष्ट्रीय परिदृ य में जो उथल–पुथल पैदा हुई है । साथी ही उनकी उपेक्षाओं का स्तर भी दिन –प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है और विस्तृत भी।

देश के आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

देश एवं विदेशों में लघु उद्योगों से संबंधित अनेकों शोध अध्ययन, आर्थिक, व्यवसायिक व सामाजिक दृष्टिकोण से किये गये है अधिकांशतः उद्यमों में पुरुष प्रधानता देखने को मिलती है महिला उद्यमियों से संबंधित शोध अध्ययन अपेक्षाकृत कम थी इन अध्ययनों में भी व्यवसायिक जगत में महिला उद्यमी के रुप में प्रवर्जन के रुप में तथा नियोक्ता के रुप में

महिला को अध्ययन से अलग रखने का प्रयास किया गया था वर्तमान में अधिकांश महिलाओं द्वारा स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है विकासशील देश जैसे भारत में महिला को अध्यन से अलग रखने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में अधिकांश महिलाओं द्वारा स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। विकासशील देशों जैसे भारत में महिला उद्यमियों से संबंधित अनेको बिन्दु अभी भी अनछुये रह गये है जो अपने शोध को उद्देश्य मानकर चलता है। राष्ट्र एवं प्रदेश स्तर के शोध से किसी क्षेत्र विशेष की गहन एवं सुक्ष्म जानकारी प्राप्त करने में असुविधा होती है । साथ ही महिला उद्यमियों की समस्याएं एवं चुनौतियॉ एक क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्टता लिए हुए भी हो सकते है। जिन पर पर्याप्त विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है इनकी उन्ही आवश्यकताओं के आधार पर महिला उद्यमिता सफलताएं चुनौतिया एवं संभावनाएं पर विचार प्रस्तुत किया है।

सन्दर्भ ग्रंथ

अरोड़ा डॉ. रेणु सूद, डॉ. एस.के. कुमार, डॉ. विजय (2004)– उद्यमीकरण के मूल सिद्धांत, कल्याणी पब्लिशर्स नई दिल्ली

गाँधी, डॉ. पी.के. (1990) – खनन पर्यावरण और प्रबंध, उत्सव प्रकाश 5–3, नागपुर गंगेले डॉ. ए. के. एवं जैन, डॉ. जे.के. (2006) उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल,

जैन एम.के. (1999) –उद्यमिता, दीपक प्रकाश ग्वालियर

जैन डॉ., बी.एम. (2003) –रिसर्च मेथ्डोलॉजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर

कबीर, डॉ. एस.ए. –रिसर्च मेथ्डोलॉजी, इन कामर्स एण्ड बिजिनेस

कुलश्रेष्ठ डॉ. आर.एस. (2001) – औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा

मिश्रा, डॉ. इन्दिरा (2000) गरीब महिलायें, उधान एवं रोजगार, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली

पाण्डेय, डॉ. गणेश पाण्डेय, अरुणा (2005) – शोघ प्रविधि, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

पन्निकरण, के.एम. –हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर

प्रमिला कुमार (2004)– मध्यप्रदेश का भौगोलिक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

सक्सेना, रणवीर (1982) – संदर्भ मध्यप्रदेश, लाभचंद्र प्रकाशन, इंदौर

सेन अमर्त्य (1993) – भारत विकास की दिशाएँ, प्रकाशक राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली

शर्मा, डॉ. राजेन्द्र (2004) – व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत तथा उद्यमिता, कैलाश पुस्तक, सदन भोपाल

शर्मा एवं सोलंकी (2001) – मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान एक दृष्टि में, उपकार प्रकाशन, आगरा।

शर्मा प्रज्ञा–महिला विकास और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर

सिन्हा, डॉ. व्ही. सी. एवं सिन्हा डॉ. पुष्पा (2006)– भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा

सिन्हा, एम. (1995) – मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, छिंदवाड़ा

सुधा, जी.एस. (2006)– उद्यमिता के मूलाधार, रमेश बुक डिपो, जयपुर

तिवारी, व्ही.के. (1997) – भारत का जनसंख्या भूगोल, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस न्यू देहली

त्रिवेदी एवं शुक्ला (2003) – रिसर्च मेथ्डोलॉजी, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

भूगोल कक्षा 3 – मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल

भारत (2007) – प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रतिवेदन, गजेटियर एवं अन्य।